भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. Ł2184

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

ओडिशा में खनन गतिविधियों का विनियमन

Ł2184. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा ओडिशा में महत्वपूर्ण खनन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मानकों और सतत निष्कर्षण प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चितत करने के लिए खनन कार्यों की निगरानी और विनियमन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आईबीएम द्वारा ओडिशा के खनन क्षेत्र में पर्यावरण और नियामक चिंताओं को दूर करने के लिए की गई विशिष्ट कार्रवाईयों, जैसे निरीक्षण, लेखापरीक्षा या स्थानीय अधिकारियों या राज्य सरकार के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप ओडिशा में खनन क्षेत्र में देखे गए मापनीय परिणामों या सुधारों का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या आईबीएम ने ओडिशा के खनन क्षेत्रों में अपने नियमों को प्रभावशीलता और पर्यावरण संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई आकलन या लेखापरीक्षा आयोजित की है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और चिन्हित किए गए मुद्दों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को भारत में खनिजों के संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नियम बनाने का अधिकार है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर 2017) तैयार किया है। एमसीडीआर 2017 के

प्रावधानों के तहत, आईबीएम को निरीक्षण के माध्यम से पट्टा क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा ओडिशा राज्य में पिछले दो वर्षों में किए गए निरीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	2022-23	132
2	2023-24	145

सभी प्रदूषकों, विषाक्त पदार्थों और शोर के मानकों और अनुमेय सीमाओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में लागू प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाता है। पट्टाधारकों द्वारा संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित निर्धारित मानदंडों की अनुपालना अनिवार्य है।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के भाग के रूप में, संभावित पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करते हैं और आधारभूत पर्यावरण पर परियोजना गतिविधि के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टाधारकों को पर्यावरण मंजूरी में अनुमोदित पर्यावरण शमन उपायों को लागू करना भी आवश्यक है। पट्टाधारकों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया जाता है।

आईबीएम द्वारा इंगित एमसीडीआर के प्रावधानों के उल्लंघन का विवरण और ओडिशा में पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में अनुपालना की स्थिति नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	वर्ष	उन खानों की संख्या जहां उल्लंघन पाया गया	उल्लंघन के संबंध में अनुपालन करने वाली खानों की संख्या	उन खानों की संख्या जहां कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	उन खानों की संख्या जहां कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात अनुपालना की गई
1	2022-23	64	54	10	10

2	2023-24	70*	51	18	18

* एक खनन पट्टा निलंबित एवं निरस्त किया गया।

आईबीएम द्वारा प्रभावी निगरानी के कारण 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान एमसीडीआर 2017 के प्रावधानों के सभी उल्लंघनों का समाधान किया गया।

*****